



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

ई-मेल
स्प्रीड-पोस्ट

संख्या-1900-कार्य-चौदह/पाकालि/2021/29-के/1983

दिनांक: अक्टूबर, 2021

16 नवम्बर

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी
एवं केस्को लि०, कानपुर।

विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं सहयोगी वितरण निगमों की उत्पादों एवं सेवाओं हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE's) व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1499/कार्य/चौदह-पाकालि/2021-29-के/1983, दिनांक: 13.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल०उ०)/2016टी०सी०, दिनांक 31.05.2021 को अंगीकृत करते हुये सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE's) व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये हैं।

2. उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.05.2021 के अनुक्रम में निर्गत उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल०उ०)/2016टी०सी०, दिनांक 26.10.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी सम्बन्धित को निदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

शुद्धीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-1900(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अपर प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4 निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वा०/का०प्ला०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
- 6 निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
- 7 अपर सचिव-I,II,III, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8 अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 9 महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 10 समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध/वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
- 11 समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/भण्डार), समस्त डिस्काम।
- 12 समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-
www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 14 कट फाइल।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2021

विषय:-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेंस सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेंस सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 31-5-2021 निर्गत किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संदर्भित शासनादेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/2020, दिनांक 19-3-2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 व भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 व भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जेम पोर्टल पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर आदि से छूट प्रदान की गयी है।

3- इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-F.9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था में मंदी के दृष्टिगत जेम पोर्टल पर प्रचलित समस्त अनुबन्धों में सफल निविदादाताओं से ली जाने वाली परफारमेंस सिक्युरिटी 5-10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये अनुमन्य है। ऐसे अनुबन्ध जो पहले से आर्बीट्रेशन/मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेंस सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक

लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4- संदर्भगत शासनादेश के संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 (1), भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 एवं परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 के अनुसार सूक्ष्म व लघु इकाईयां, जो एमओएसडीओ प्रोक्योरमेन्ट पालिसी के तहत नियमानुसार पंजीकृत हैं तथा वह स्टार्टअप्स इकाईयां जो औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे ही ईओएमडीओ से छूट प्राप्त करने की पात्र हैं। उक्त इकाईयों से केवल निविदा घोषणा पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था है जिसमें यह उल्लेख होगा कि यदि बिड वैधता की अवधि में उक्त फर्म पिदड़ाल अथवा बिड की किसी शर्त का उल्लंघन करती है तो क्रेता द्वारा बिडर/विक्रेता को बिड की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय के लिये निलम्बित किया जा सकेगा, जिसका उल्लेख बिड बनाते समय क्रेता विभाग द्वारा किया जायेगा।

5- स्टार्टअप्स इकाईयां सामान्यतः सूक्ष्म व लघु इकाईयां होती हैं जिनके पास पूर्व ट्रैक रिकार्ड नहीं होता है। अतः समस्त विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थायें/निगम आदि द्वारा स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म व लघु इकाईयों को शासकीय सामग्री एवं सेवा की गुणवत्ता एवं तकनीकी विशिष्टताओं को प्रभावित किये बिना पूर्व टर्न ओवर एवं पूर्व कार्यानुभव से छूट प्रदान की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परफारमेन्स सिक्युरिटी के संबंध में संदर्भगत शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था जेम पोर्टल व समस्त प्रकार के प्रचलित अनुबन्धों एवं दिनांक 31-12-2021 तक निष्पादित अनुबन्धों पर लागू होगी तथा नियमानुसार पंजीकृत सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों पर भी लागू होगी।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नयनीत सहगल)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माओ राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी।
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
- (5) सचिव, लोक सेवा आयोग उओप्रओ, प्रयागराज।
- (6) सचिव, उओप्रओ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

(7) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।

(9) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, 30प्र0।

(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
१२.

(पन्ना लाल)

संयुक्त सचिव।